उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 41/2015/593/छप्पन-2015-88/2013
लखनऊ: दिनांक: 02 जून, 2015
कार्यालय-ज्ञाप

प्रत्यावेदन दिनांक 13 मार्च, 2015 के माध्यम से श्री अनिल कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी, मेरठ द्वारा यह उल्लेख किया है कि राजकीय हवाई पट्टी मेरठ दिनांक 04 जुलाई, 2014 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को हस्तान्तरित कर दी गयी, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यहॉ पर कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। अपने सेवा में मिलने वाले लाभ सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन/ए0सी0पी0 तथा लखनऊ स्थित राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- श्री अनिल कुमार के प्रत्यावेदन एवं इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों पर निदेशक, नागरिक उड्डयन की आख्या प्राप्त की गयी है। प्राप्त आख्या के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि वर्ष 2001 में हुए विभागीय पुनर्गठन के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-844/छप्पन-2000-180/2000, दिनांक 8-6-2001 में लिए गये नीतिगत निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या- 1333/छप्पन-2001-180/2000, दिनांक 01 अक्टूबर, 2001 द्वारा राज्य सरकार की हवाई पट्टियों तथा उस पर स्थिति परिसम्पतियों एवं हवाई पट्टी की सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा कर्मियों की सेवाए पद सहित संबंधित जिलाधिकारी को अन्तरित कर दी गयी थी। उक्त शासनादेश के अनुपालन में निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6089-94/ना0उ0, दिनांक 27 नवम्बर, 2001 द्वारा तत्समय राज्य सरकार की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कार्मियों की सेवायें संबंधित जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन अंतरित कर दी गयी थी। तत्समय श्री अनिल कुमार जनपद मेरठ की डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी पर सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात थे और उनकी सेवायें शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के तहत जिलाधिकारी, मेरठ को अन्तरित कर दी गयी हैं और उनके वेतन भत्ते राजस्व विभाग की अनुदान संख्या-50 के अधीन लेखा शीर्षक 3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03 हवाई पट्टियों के रख-रखाव तथा प्रबन्धन (आयोजनेत्तर) से आहरित हो रहे हैं।

2- समान प्रकरण में डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी, मेरठ पर तैनात श्री प्रशान्त श्रीवास्तव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में याचिका संख्या-412 (एस एस)/2014 दायर की गयी थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-01-2014 में उन्हें राजस्व विभाग का कर्मी बताया गया है। इस प्रकार श्री अनिल कुमार राजस्व विभाग के कर्मी है और इनके सेवा संबंधी समस्त प्रकरणों का निस्तारण जिलाधिकारी, मेरठ के स्तर से होना है।

3- यह भी अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा मेरठ, मुरादाबाद एवं फैजाबाद स्थित हवाई पट्टियों को रेगुलर एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए यथास्थिति हस्तानांतरित किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उनके मास्टर प्लान के अनुसार चिन्हित अतिरिक्त भूमि भी निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। उक्त नीतिगत

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्णय के परिपालन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ निष्पादित मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैण्डिंग के अनुसार उक्त तीनों हवाई पट्टियॉ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तानांतरित कर दी गयीं हैं तथापि उनकी ओर से अभी तक यहॉ स्टाफ आदि की तैनाती नहीं हुई है। उक्त हवाई पट्टियों में से मेरठ और फैजाबाद स्थित हवाई पट्टियों पर राज्य सरकार का स्टाफ तैनात है, किन्तु मुरादाबाद स्थित हवाई पट्टी पर राज्य सरकार का कोई स्टाफ तैनात नहीं है। जब भी मेरठ और फैजाबाद स्थित हवाई पट्टियों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था कर दी जाएगी तो उस दशा में संबंधित जिलाधिकारियों के नियंत्रणाधीन राज्य सरकार के स्टाफ की आवश्यकता इन दोनों हवाई पट्टियों पर नहीं रह जाएगी। उन्हें उन हवाई पट्टियों पर सक्षम स्तर से निर्णयोपरान्त समायोजित करना होगा, जहॉ पर स्टाफ तैनात नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि आजमगढ़ एवं चित्रकूट स्थित नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर अभी कोई भी स्टाफ तैनात नहीं है।

4- उक्त से स्पष्ट है कि शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 19-8-2008 द्वारा जब उड़ान प्रशिक्षण संस्थान को बन्द कर दिया गया था तो इन कार्मिकों की सेवाएं सम्बन्धित जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन कर दी गयीं थी तथा इनके वेतन/भत्तों का भुगतान राजस्व विभाग के लेखा शीर्षक से हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में श्री अनिल कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, डा0 भीम राव अम्बेडकर, मेरठ को पुनः नागरिक उड्डयन निदेशालय में वापस लेते हुए उनका स्थानान्तरण नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ में किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। अतः सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त श्री अनिल कुमार का प्रत्यावेदन दिनांक 13-3-2015 एतद्द्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है।

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-41/2015/593(1)/छप्पन-2015-तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिलाधिकारी, मेरठ।
3- श्री अनिल कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी, मेरठ द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।